HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14315/2026
CNR: RJHC020884732026 | URN: CRLMB / 26452U / 2026

Sharukh @ Sharoop S/o Kamruddin, R/o Mundpur Mewan, Police Station Khairthhal, District Khairthal-Tijara (Rajasthan). (Presently Confined In Sub Jail, Kishangarh, District Alwar).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14316/2026
CNR: RJHC020884692026 | URN: CRLMB / 26453U / 2026

Alijan S/o Saleh Khan, R/o Sadoli, Police Station Bagad Tiraya, District Alwar (Rajasthan) (Presently Confined In Sub Jail, Kishangarh, District Alwar).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rahul Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Manvenda Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/10/2026

कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को दूर किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या–1/2026 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों की रोशनी में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तथा कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटि को दूर किया जाकर आरोप पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र **पुलिस थाना–खैरथल जिला–खैरथल तिजारा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **258/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 112 (2), 61(2) बी.एन.एस. व धारा 66–डी आई टी एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उन पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उन्होंने संगठित गिरोह बनाकर फर्जी सिम व बैंक खातों का उपयोग करते हुए सौशल मीडिया पर फर्जी तरीके से पासपोर्ट जारी करने व पार्सल डिलीवर करने, इण्डियन आर्मी के पार्सल का रजिस्ट्रेशन करने आदि के नाम पर साईबर ठगी की। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त शाहरूख उर्फ शारूप के आधिपत्य से बरामदशुदा मोबाईल फोन के सम्बन्ध में साईबर पोर्टल पर एक शिकायत समन्वय पोर्टल पर दर्ज होना बताया गया है तथा जिस राशि को प्राप्त करने के सम्बन्ध में पत्रावली पर स्क्रीन शॉट मौजूद है वह मात्र 1800/–रूपये की राशि का है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त शाहरूख उर्फ शारूप के विरूद्ध पूर्व का मात्र एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, जबकि अभियुक्त अलीजान के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। वे दिनांक **26.7.2026** से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्त पर आक्षेप है कि उन्होंने एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर लोगों के साथ साईबर ठगी की। प्रार्थी–अभियुक्त शाहरूख के मोबाईल फोन के सम्बन्ध में समन्वय पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज है। गंभीर अपराध है। उन्हें जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उन्होंने संगठित गिरोह बनाकर फर्जी सिम व बैंक खातों का उपयोग करते हुए सौशल मीडिया पर फर्जी तरीके से पासपोर्ट जारी करने व पार्सल डिलीवर करने, इण्डियन आर्मी के पार्सल का रजिस्ट्रेशन करने आदि के नाम पर साईबर ठगी की। प्रार्थी–अभियुक्त शाहरूख उर्फ शारूप के आधिपत्य से बरामदशुदा मोबाईल फोन के सम्बन्ध में साईबर पोर्टल पर एक शिकायत समन्वय पोर्टल पर दर्ज होना बताया गया है, जो 1,800/–रूपये की राशिसे सम्बन्धित है। प्रार्थी–अभियुक्त शाहरूख उर्फ शारूप के विरूद्ध पूर्व का मात्र एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, जबकि अभियुक्त अलीजान के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दनांक **26.7.2026** से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को सशर्त जमानत पर मुक्त किया जाना उचित है।

परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थीगण–अभियुक्तगण इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाये। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। अभियुक्तगण द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्तगण के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

28/JITENDRA SINGH PANWAR